न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—68 / 2019 (2019 / 00180) वादपत्र

अनवान

1. पारस पिता प्रताप रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगु पिता दुदा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 23.02.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुणिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 की शामलाती खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1700 रकबा 1.08 है0, भूमि खाता संख्या 238 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। वादवर्णित आरायिजात में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से दर्ज रकार्ड है। खाता आपस में सामलाती दर्ज रेकार्ड रहने से लगान जमा कराने अपने हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाने विकसित करने ऋण आदि सुविधा लेने में भारी अड़चन पैदा रहती है। जिससे वादी का 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता खुलवाना चाहता है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हमारे आपस में राजीनामा हो चुका है राजीनामे अनुसार मूल में अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 2 फौरमल पक्षकार होने से कोई दाद नही चाही गई है।

दौराने सुनवाई वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद में राजीनामा पेश किया जिसमें अकंन किया कि ग्राम केमुणिया सरहद में उभयपक्ष की शामलाती भूमि 5 बीघा गौशाला के पास स्थित है जिसमें प्रथम एवं द्वितीय पक्ष का 1/2, 1/2 हिस्सा है। हम दोनो पक्षो ने आपसी सहमति से मौके पर जाकर विभाजन कर [illegible] और विभाजन में उत्तरी दिशा की तरफ़ पूर्व से पश्चिम प्रतिवादी मांगील[illegible] रखा गया व दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बाई में वादी पारसमल का पिता [illegible] का हिस्सा रखा [illegible] है दक्षिण दिशा के हिस्से में खड्डा (कुआनुमा) है [illegible] आप द्वितीय पक्ष [illegible] गये है और वृक्ष के पेटे 1000 रूपया वादी पारस द्वारा प्रतिवादी मांगु को देना तय हुआ है जो हमारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.24 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

लेनदेन हो चुका है। अब हमारा कोई विवाद नही है इस राजीनामे अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावे।

मैने उभयपक्ष को सुना एवं प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया उभयपक्ष राजीनामा अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री चाहते है जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर राजीनामे अनुसार डिक्री जारी किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र आपसी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे आराजी संख्या 1700 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि मे से 0.54 है0 भूमि दक्षिण दिशा की ओर जो पूर्व से पश्चिम लम्बाई में है और इसी भाग में (मौके पर कुंआ नुमा खड्डा व वृक्ष सहित) पारस पिता प्रताप रेगर वादी के नाम एवं आराजी संख्या 1700 रकबा 1.08 है0 मे से 0.54 है0 भूमि उत्तरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम लम्बाई में है जो प्रतिवादी मांगु पिता दुदा रेगर निवासी रायपुर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर खाता कायम किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-02-2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.24 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–68 / 2019 (2019 / 00180) वादपत्र

अनवान

1. पारस पिता प्रताप रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. मांगु पिता दुदा रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी अतः वादी का वाद पत्र आपसी राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुणिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे आराजी संख्या 1700 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि मे से 0.54 है0 भूमि दक्षिण दिशा की ओर जो पूर्व से पश्चिम लम्बाई में है और इसी भाग में (मौके पर कुंआ नुमा खड्डा व वृक्ष सहित) पारस पिता प्रताप रेगर वादी के नाम एवं आराजी संख्या 1700 रकबा 1.08 है0 मे से 0.54 है0 भूमि उत्तरी दिशा की ओर पूर्व से पश्चिम लम्बाई में है जो प्रतिवादी मांगु पिता दुदा रेगर निवासी रायपुर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर खाता कायम किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.02.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

23.02.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.24 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested